न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2024/175

01. संदीप राय पुत्र गुलशन राय जाति अरोड़ा निवासी सेक्टर 9, हनुमानगढ़ जक्शन तहसील एवं जिला हनुमानगढ़

.....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व)खाजूवाला ।

....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट
निर्णय दिनांक :–17.02.26

यह वादपपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी को इन्दिरा गांधी नहर परियोजना छतरगढ़ के अन्तर्गत चक 16 बीएलडी ए मु0नं0 54/59 के किला नं0 10 ता 12, 20 तादादी 04.00 बीघा कमाण्ड व 13 ता 19, 21 ता 25 कुल 12.00 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटित हुई थी तथा वादी से तमाम 16.00 बीघा की राशि भरवाई गई तथा आवंटन आदेश 16.00 बीघा का जारी किया गया। मु0नं0 54/59 का किला नं0 20 वादी के नाम राजस्व अभिलेख में सहवन से दर्ज नहीं हुआ। वादी को आवंटित मु0नं0 54/59 के किला नं0 10 ता 12 व 20 कुल 04.00 भूमि कमाण्ड हुई थी व किला नं0 13 ता 19, 21 ता 25 तादादी 12.00 बीघा अनकमाण्ड हुई थी, लेकिन सहवन से मु0नं0 54/59 का किला नं0 24 जो कि तत्कालीन समय में अनकमाण्ड था, का कमाण्ड व अनकमाण्ड 2 बीघों के रूप मे गलत रूप से अंकन हो गया जबकि किला नं0 24 कमाण्ड के स्थान पर किला नं0 20 अंकन होना चाहिए था। उक्त त्रुटि सहवन से हुई है। तत्कालीन समय में किला नं0 20 ही कमाण्ड था। किला नं0 10 ता 12 व 20 तादादी 04.00 बीघा कमाण्ड व किला नं0 13 ता 19 व 21 ता 25 तादादी 12.00 बीघा अनकमाण्ड कुल 16.00 बीघा भूमि बनती है। रिकॉर्ड में मु0नं0 54/59 का किला नं0 20 कमाण्ड अराजीराज के रूप में दर्ज है जबकि उपरोक्त भूमि वादी को आवंटनशुदा है तथा वादी के आधिपत्य व धारण में चला आ रहा है। उक्त परिस्थितिओं में रिकॉर्ड में मुरब्बा नं0 54/59 का किला नं0 20 अराजीराज दर्ज है, को दुरूस्त किया जाकर उपरोक्त किला नं0 20 वादी के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जावें। वादी ने प्रतिवादी से गत सप्ताह निवेदन किया कि वह रिकॉर्ड में मुरब्बा नं0 54/59 का किला नं0 20 अराजीराज दर्ज है, को दुरूस्त कर उपरोक्त किला नं0 20 वादी के नाम दर्ज देवें तो वह इन्कार हो गया। यही वाद कारण है। चक 16 बीएलडी ए मु0नं0 54/59 का किला नं0 20 कमाण्ड जो रिकॉर्ड में अराजीराज के रूप में दर्ज है, को दुरूस्त किया जाकर उपरोक्त किला नं0 20 वादी के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

सर्वप्रथम वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी ने वादपत्र साबित करने के पक्ष में जमाबंदी की प्रति व मूल आवंटन पत्रावली की प्रतिलिपि प्रस्तुत की। उक्त मूल आवंटन पत्रावली में संलग्न आवंटन आदेश में चक 16 बीएलडी मु0नं0 54/59 के किला नं0 10 ता 12 तादादी 04.00 बीघा कमाण्ड व किला नं0 13 ता 19, 21 ता 25 तादादी 12.00 बीघा अनकमाण्ड इसप्रकार कुल तादादी 16.00 बीघा रकबा सन्दीप राय पुत्र गुलशन राय अरोड़ा साकिन झण्डावाली तहसील हनुमानगढ़ का नाम अंकित है। पत्रावली पर सुना गया। दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया कि मूल आवंटन पत्रावली में संलग्न आवंटन आदेश में किला नं0 24 को सहवन से दो बार अंकित किया है जबकि किला नं0 24 कमाण्ड अंकित किया है उसकी जगह किला नं0 20 अंकित किया जाना था। चूंकि किला नं0 24 तत्कालीन समय में अनकमाण्ड ही थ एवं दुबारा अंकित किया है वह भी कमाण्ड अंकित किया है जिससे स्पष्ट हो रहा है कि किला नं0 24 कमाण्ड की जगह किला नं0 20 कमाण्ड अंकित किया जाना था। एवं आवंटन पत्रावली में तत्कालीन समय में अराजीराज/रकबाराज भी किला नं0 20 अंकित किया है एवं किला नं0 20 को कुल आवंटन तादादी 16.00 बीघा में शामिल किया गया है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार फरमाया जावें एवं चक 16 बीएलडी ए मु0नं0 54/59 के किला नं0 20 को अराजीराज के स्थान पर वादी के नाम दर्ज करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया है। वादी का वादपत्र साक्ष्य–सबूतों व आवंटन पत्रावली के अवलोकन के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है एवं चक 16 बीएलडी ए मु0नं0 54/59 के किला नं0 20 को अराजीराज के स्थान पर वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज के दुरूस्ती आदेश किये जाते है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। अगर उक्त संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 17.02.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)